न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/248

1. छीतर लाल आत्मज श्री भंवरया उर्फ भंवर लाल जाति मीणा निवासी हनोतिया तहसील दीगोद जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. श्रीमती शान्ति देवी पत्नी स्व0 छीतर लाल ।
   1/2. विजय लक्ष्मी पुत्री स्व0 छीतरलाल पत्नी श्री रामेश्वर दयाल ।
   1/3. राजेन्द्र पुत्र स्व0 छीतर लाल ।
   1/4. रामदयाल पुत्र स्व0 छीतर लाल ।
   1/5. हेमलता पुत्र स्व0 छीतर लाल पत्नी हेमराज ।
   1/6. लोकेश पुत्र स्व0 छीतर लाल जाति मीणा निवासी हनोतिया तहसील दीगोद जिला कोटा ।

––अपीलान्ट

बनाम

1. धर्मराज पुत्र बजरंगलाल मुतवन्ना बंशी जाति मीणा निवासी ग्राम हनोतिया तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. बजरंग लाल पुत्र बिरधा जाति मीणा निवासी ग्राम हनोतिया तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. रामावतार पुत्र बिरधा जाति मीणा निवासी ग्राम हनोतिया तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. कमला बाई पत्नी श्री आनन्दी लाल पुत्री बिरधा जाति मीणा निवासी ग्राम हनोतिया तहसील दीगोद जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   4/1. राममूर्ति बाई पुत्री आनन्दीलाल पत्नी कुंज बिहारी जाति मीणा निवासी पुनर्वास कॉलोनी जागा बस्ती के पास रामदेव जी का मंदिर प्रेमनगर द्वितीय, कोटा ।
   4/2. ममता बाई पुत्री आनन्दीलाल पत्नी बबलू जाति मीणा निवासी बरडा बस्ती ट्रक यूनियन के पास, अनन्तपुरा कोटा ।
   4/3. भारत पुत्र आनन्दीलाल जाति मीणा ।
   4/4. सुमन पुत्री आनन्दीलाल जाति मीणा निवासीगण मकान नं0 52 रामदेव मंदिर के पास शिवपुरा, कोटा ।
   4/5. हेमन्त बाई पुत्री आनन्दीलाल पत्नी बन्टी मीणा निवासी ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

––रेस्पोडेन्ट

अपील संख्या : 2021/249

1. छीतर लाल आत्मज श्री भंवरया उर्फ भंवर लाल जाति मीणा निवासी हनोतिया तहसील दीगोद जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. श्रीमती शान्ति देवी पत्नी स्व0 छीतर लाल ।
   1/2. विजय लक्ष्मी पुत्री स्व0 छीतरलाल पत्नी श्री रामेश्वर दयाल ।
   1/3. राजेन्द्र पुत्र स्व0 छीतर लाल ।
   1/4. रामदयाल पुत्र स्व0 छीतर लाल ।
   1/5. हेमलता पुत्र स्व0 छीतर लाल पत्नी हेमराज ।
   1/6. लोकेश पुत्र स्व0 छीतर लाल जाति मीणा निवासी हनोतिया तहसील दीगोद जिला कोटा ।

––अपीलान्ट

बनाम

1. धर्मराज पुत्र बजरंगलाल मुतवन्ना बंशी जाति मीणा निवासी ग्राम हनोतियातहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. बंजरंग लाल पुत्र बिरधा जाति मीणा निवासी ग्राम हनोतिया तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. रामावतार पुत्र बिरधा जाति मीणा निवासी ग्राम हनोतिया तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. कमला बाई पत्नी श्री आनन्दी लाल पुत्री बिरधा जाति मीणा निवासी ग्राम हनोतिया तहसील दीगोद जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   4/1. राममूर्ति बाई पुत्री आनन्दीलाल पत्नी कुंज बिहारी जाति मीणा निवासी पुनर्वास कॉलोनी जागा बस्ती के पास रामदेव जी का मंदिर प्रेमनगर द्वितीय, कोटा ।
   4/2. ममता बाई पुत्री आनन्दीलाल पत्नी बबलू जाति मीणा निवासी बरडा बस्ती ट्रक यूनियन के पास, अनन्तपुरा कोटा ।
   4/3. भारत पुत्र आनन्दीलाल जाति मीणा ।
   4/4. सुमन पुत्री आनन्दीलाल जाति मीणा निवासीगण मकान नं0 52 रामदेव मंदिर के पास शिवपुरा, कोटा ।
   4/5. हेमन्त बाई पुत्री आनन्दीलाल पत्नी बन्टी मीणा निवासी ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

––रेस्पोडेन्ट

अपील संख्या : 2021/250

1. छीतर लाल आत्मज श्री भंवरया उर्फ भंवर लाल जाति मीणा निवासी हनोतिया तहसील दीगोद जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. श्रीमती शान्ति देवी पत्नी स्व0 छीतर लाल ।
   1/2. विजय लक्ष्मी पुत्री स्व0 छीतरलाल पत्नी श्री रामेश्वर दयाल ।
   1/3. राजेन्द्र पुत्र स्व0 छीतर लाल ।
   1/4. रामदयाल पुत्र स्व0 छीतर लाल ।
   1/5. हेमलता पुत्र स्व0 छीतर लाल पत्नी हेमराज ।
   1/6. लोकेश पुत्र स्व0 छीतर लाल जाति मीणा निवासी हनोतिया तहसील दीगोद जिला कोटा ।

––अपीलान्ट

बनाम

1. बजरंग लाल पुत्र बिरधा जाति मीणा निवासी ग्राम हनोतिया तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. रामावतार पुत्र बिरधा जाति मीणा निवासी ग्राम हनोतिया तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. धर्मराज पुत्र बजरंगलाल मुतवन्ना बंशी जाति मीणा निवासी ग्राम हनोतिया तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. कमला बाई पत्नी श्री आनन्दी लाल पुत्री बिरधा जाति मीणा निवासी ग्राम हनोतिया तहसील दीगोद जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   4/1. राममूर्ति बाई पुत्री आनन्दीलाल पत्नी कुंज बिहारी जाति मीणा निवासी पुनर्वास कॉलोनी जागा बस्ती के पास रामदेव जी का मंदिर प्रेमनगर द्वितीय, कोटा ।
   4/2. ममता बाई पुत्री आनन्दीलाल पत्नी बबलू जाति मीणा निवासी बरडा बस्ती ट्रक यूनियन के पास, अनन्तपुरा कोटा ।
   4/3. भारत पुत्र आनन्दीलाल जाति मीणा ।
   4/4. सुमन पुत्री आनन्दीलाल जाति मीणा निवासीगण मकान नं0 52 रामदेव मंदिर के पास शिवपुरा, कोटा ।
   4/5. हेमन्त बाई पुत्री आनन्दीलाल पत्नी बन्टी मीणा निवासी ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

––रेस्पोडेन्ट

अपील संख्या : 2021/251

1. छीतर लाल आत्मज श्री भंवरया उर्फ भंवर लाल जाति मीणा निवासी हनोतिया तहसील दीगोद जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. श्रीमती शान्ति देवी पत्नी स्व0 छीतर लाल ।
   1/2. विजय लक्ष्मी पुत्री स्व0 छीतरलाल पत्नी श्री रामेश्वर दयाल ।
   1/3. राजेन्द्र पुत्र स्व0 छीतर लाल ।
   1/4. रामदयाल पुत्र स्व0 छीतर लाल ।
   1/5. हेमलता पुत्र स्व0 छीतर लाल पत्नी हेमराज ।
   1/6. लोकेश पुत्र स्व0 छीतर लाल जाति मीणा निवासी हनोतिया तहसील दीगोद जिला कोटा ।

––अपीलान्ट

बनाम

1. बजरंग लाल पुत्र बिरधा जाति मीणा निवासी ग्राम हनोतिया तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. रामावतार पुत्र बिरधा जाति मीणा निवासी ग्राम हनोतिया तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. धर्मराज पुत्र बजरंगलाल मुतवन्ना बंशी जाति मीणा निवासी ग्राम हनोतिया तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. कमला बाई पत्नी श्री आनन्दी लाल पुत्री बिरधा जाति मीणा निवासी ग्राम हनोतिया तहसील दीगोद जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   4/1. राममूर्ति बाई पुत्री आनन्दीलाल पत्नी कुंज बिहारी जाति मीणा निवासी पुनर्वास कॉलोनी जागा बस्ती के पास रामदेव जी का मंदिर प्रेमनगर द्वितीय, कोटा ।
   4/2. ममता बाई पुत्री आनन्दीलाल पत्नी बबलू जाति मीणा निवासी बरडा बस्ती ट्रक यूनियन के पास, अनन्तपुरा कोटा ।
   4/3. भारत पुत्र आनन्दीलाल जाति मीणा ।
   4/4. सुमन पुत्री आनन्दीलाल जाति मीणा निवासीगण मकान नं0 52 रामदेव मंदिर के पास शिवपुरा, कोटा ।
   4/5. हेमन्त बाई पुत्री आनन्दीलाल पत्नी बन्टी मीणा निवासी ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री राकेश सुवालका, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से चारों अपीलों में ।
2. श्री दयाराम सेन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्टगण की ओर से चारों अपीलों में ।

निर्णय दिनांकः 24.05.2022

1. अपीलान्ट द्वारा अपील संख्या 2021/248 एवं अपील संख्या 2021/250 अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 07.07.20217 के विरूद्ध पेश की गई हैं । अपील संख्या 2021/249 एवं अपील संख्या 2021/251 उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा के निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 06.12.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रस्तुत प्रकरण में अपील संख्या 2021/248 एवं 2021/250 प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध होने तथा अपील संख्या 2021/249 एवं 2021/251 अंतिम डिक्री के विरूद्ध होने तथा चारों अपील एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने तथा समान पक्षकार होने से उक्त चारों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग पत्रावली में संलग्न की जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट धर्मराज मुतवन्ना बंशी ने परीक्षण न्यायालय में वाद संख्या 33/2010 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम हनोतिया तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता संख्या 83 पर खसरा नम्बर 379 की रकबा 0.29 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी कम 1/3 का 1/3, प्रतिवादी कम 04 का 1/3 हिस्सा दर्ज है । इसी प्रकार ग्राम हनोतिया तहसील दीगोद में खाता संख्या 52 में कुल 04 किता की रकबा 2.06 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि में वादी का 1/6, प्रतिवादी कम 1 से 3 का 1/6, प्रतिवादी कम 04 का 1/6 हिस्सा दर्ज है जबकि वादी का 1/3, प्रतिवादी कम 1 से 3 का 1/3 व प्रतिवादी कम 04 का 1/3 हिस्सा है । राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सा गलत दर्ज है इस कारण उसे दुरूस्त किया जावे । ग्राम हनोतिया तहसील दीगोद में ही खाता संख्या 53 में खसरा नम्बर 155 की रकबा 5.56 हैक्टर भूमि स्थित है । राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार उक्त भूमि बंशी पुत्र भंवरलाल का 1/3, प्रतिवादी कम 1 से 3 का 1/3 व प्रतिवादी कम 04 का 1/3 हिस्सा निहित है जबकि वादी बंशीलाल का गोदपुत्र मुतवन्ना है और बंशी लाल जी के 1/3 हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है । इस कारण वादी को मद संख्या 05 में वर्णित भूमि में बंशी जी के 1/3 हिस्से की भूमि का खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक है । वादी को वादपत्र की मद संख्या 1, 3 व 5 में वर्णित भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा है जिसका वादी को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वे वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन करावे और वादी को विभाजन में प्राप्त होने वाली भूमि को पृथक से उनके खाते दर्ज किया जावे ।

4. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में वादी को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा खसरा नम्बर 155 की रकबा 5.56 हैक्टर में बंशी आत्मज भंवर लाल के 1/3 हिस्से की भूमि का खातेदार वादी को घोषित किया जावे । खाता संख्या 52 की कुल 04 किता की रकबा 2.06 हैक्टर भूमि में वादी का 1/6 के स्थान पर

1/3 हिस्सा दर्ज कर 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे । वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन किया जाकर वादी को प्राप्त होने वाली भूमि को उनके पृथक खाते में दर्ज किया जाकर पृथक लगान कायम किया जावे ।

5. इसी प्रकार वादी रेस्पोडेन्ट बजरंग लाल ने परीक्षण न्यायालय में वाद संख्या 87/2014 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम हनोतिया तहसील दीगोद में खाता संख्या नया 53 में कुल 04 किता की 2.06 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण कम 1 से 3 तथा छोटूलाल पुत्र बिरधा के शामलाती खाते में दर्ज है । उक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी कम 01 व छोटूलाल का 4/6 हिस्सा व प्रतिवादी कम 2, 3 प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा दर्ज है तथा इसी अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे हैं । वादी का छोटा भाई छोटूलाल लाऔलाद फौत हो गया और वादी ही छोटू की भूमि को काश्त करता चला आ रहा है । वादग्रस्त आराजी में वादी व प्रतिवादी कम 01 व छोटू लाल का उक्त भूमि में 4/6 हिस्सा और छोटूलाल का 4/6 में 1/3 यानि 4/18 हिस्सा बनता है । वादी स्वयं के हिस्से की 4/18 व छोटूलाल के 4/18 कुल 4/9 हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है इस प्रकार वादी उक्त भूमि में 4/9 हिस्से की भूमि का खातेदार घोषित होने का अधिकारी है । प्रतिवादी कम 01 के मन में बदनियति आ गई है और वह वादी के 4/9 हिस्से के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करने पर आमदा रहता है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वे वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन करावें और प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे ।

6. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में वादी को 4/9 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम 4/9 हिस्सा दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी में उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें ।

7. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 07.07.2017 के द्वारा वादीगण के दोनों संख्या 33/2010 एवं 87/2014 स्वीकार कियाज जाकर पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की । परीक्षण न्यायालय ने प्रारम्भिक डिक्री के आधार पर विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर निर्णय दिनांक 06.12.2017 के द्वारा विभाजन की अंतिम डिक्री पारित कर दी ।

8. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 07.07.2017 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 06.12.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट शांतिदेवी ने न्यायालय हाजा में धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत कर चारों अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का कथन किया ।

9. अपीलान्ट ने चारों अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी का पेश कर कथन किया किया अपीलान्ट खातेदार छीतर लाल के देहावसान के उपरान्त बहैसियत उत्तराधिकारी काबिज काश्त हैं और इस भूमि की काननून खातेदार हैं । छीतर लाल का देहावसान हो

गया है । रेस्पोडेन्ट कम 01 ने धोखा धडी कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करवा ली है । वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट का हित–निहित है और वह उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से प्रभावित पक्षकार है तथा प्रस्तुत प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को प्रस्तुत प्रकरण में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

10. हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट ने स्वयं का वादग्रस्त आराजी में हित–निहित होना कथन किया है तथा स्वयं को हितबद्ध पक्षकार होना कथन किया है । ऐसी स्थिति में हम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को प्रस्तुत प्रकरण में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

11. अपीलान्टगण ने चारों अपीलामें में अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट को परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि वह परीक्षण न्यायालय में पक्षकार नहीं थी । अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 06.12.2021 को प्राप्त हुई जिस पर दिनांक 16.12.2021 को नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और दिनांक 24.12.2021 को नकल प्राप्त कर ये अपीलें न्यायालय हाजा में पेश की गई हैं । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

12. चारों अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

13. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि रेस्पोडेन्ट कम 01 बजरंग लाल द्वारा एक वाद संख्या 87/2014 पेश किया । इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट धर्मराज द्वारा परीक्षण न्यायालय में एक वाद संख्या 33/2010 अपीलान्ट एवं अन्य रेस्पोडेन्टगण के खिलाफ पेश किया था । परीक्षण न्यायालय में प्रतिवादीगण की तामील पूर्ण नहीं हुई थी प्रकरण प्रतिवादी की तामील में रहते हुए उसमें प्रारम्भिक और अंतिम डिक्री पारित कर दी । परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है । परीक्षण न्यायालय में पत्रावली तामील प्रतिवादीगण में जैरकार थी अपीलान्ट के पति व पिता पर सम्यक् रूप से उक्त वाद की कोई तामील नहीं हुई थी । वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट कम 01 बजरंग लाल द्वारा तथ्यों को छुपाते हुए वाद प्रस्तुत किया जिसे स्वीकार करवा लिया । प्रतिवादी कम 02 छोटूलाल की दिनांक 18.10.2009 को मृत्यु हुई थी । परीक्षण न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि बजरंग लाल, आराजी के खातेदार छोटू लाल का एकमात्र उत्तराधिकारी नहीं है । छोटू लाल के अन्य उत्तराधिकारी भी जीवित है इसके विपरीत परीक्षण न्यायालय ने निर्णय पारित किया है । पक्षकारान मीणा जाति के सदस्य हैं

जिन पर हिन्दू लॉ प्रभावी नहीं है । मीणा जाति पर पुरानी हिन्दू विधि लागू होती है जिसमें महिला सदस्य को साम्पत्तिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं । परीक्षण न्यायालय ने कमला बाई को बिना पक्षकार बनाये सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अंतिम डिक्री में हिस्सा प्रदान किया जो विधि सम्मत नहीं है । परीक्षण न्यायालय में मृतक व्यक्ति छोटूलाल के विरूद्ध डिक्री पारित की है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । परीक्षण न्यायालय ने विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान को सुनवाई हेतु नोटिस जारी नहीं किये है जबकि विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक होता है । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री त्रुटिपूर्ण हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तत चारों अपीलें स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 07.07.2017 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 06.12.2017 निरस्त फमरये जावें ।

14. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने विधिक प्रकिय अपनाकर विभाजन की प्रारम्भिक एवं अंतिम डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः चारों अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 07.07.2017 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 06.12.2017 बहला रखा जावे ।

15. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं क्योंकि परीक्षण न्यायालय में अपीलान्टगण को प्रोपर सम्मन तामील नहीं हुए हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

16. प्रस्तुत प्रकरण में छोटू लाल की दिनांक 18.10.2009 को मृत्यु हो गई थी जो परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र से साबित है । वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में परीक्षण न्यायालय में वाद संख्या 33/2010 प्रस्तुत किया था जिसमें मृतक छोटूलाल को भी पक्षकार बनाया है । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय में मृतक व्यक्ति के खिलाफ वाद दायर किया है । जबकि परीक्षण न्यायालय में वाद मृतक छोटू लाल के नजदीकी सम्बन्धियों ने ही वाद पेश किया है । तत्पश्चात् धर्मराज पुत्र बजरंग लाल ने परीक्षण न्यायालय में दिनांक 20.06.2017 प्रार्थना पत्र पेश कर मृतक छोटूलाल आत्मज बिरधा का नाम डिलिट करने का कथन किया । परीक्षण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 07.07.2017 को स्वीकार कर मृतक छोटू का नाम डिलीट करने का आदेश पारित किया और उसी दिन विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी ।

17. प्रस्तुत प्रकरण में छीतर लाल को विधिवत तामील नहीं हुई है जो सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत है । परीक्षण न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई है । परीक्षण न्यायालय ने अंतिम डिक्री पारित करने के पूर्व विभाजन प्रस्ताव पर भी अपीलान्टगण को आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु नोटिस/सम्मन जारी नहीं किये हैं । परीक्षण न्यायालय ने प्रारम्भिक डिक्री लोक अदालत कैम्प रेलगॉव में जारी की है जहॉ समस्त पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं जबकि लोक अदालत की भावना समस्त पक्षकारों की

सहमति पर आधारित है । परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री त्रुटिपूर्ण पारित की है । ऐसी स्थिति में परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री पर किसी प्रकार का विवेचन किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है । हम प्रस्तुत प्रकरण को पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार पर प्रारम्भिक डिक्री पारित करने एवं प्रारम्भिक डिक्री के आधार पर अंतिम डिक्री पारित करने हेतु परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

18. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट 2021/248, 2021/249, 2021/250 एवं 2021/251 चारों आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 07.07.2017 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 06.12.2017 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्टगण एवं रेस्पोडेन्टगण को सुनवाई एवं जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर उभयपक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से नये सिरे से तनकीवार निर्णय पारित करते हुए प्रारम्भिक डिक्री पारित करें । प्रारम्भिक डिक्री के आधार पर तहसील से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन की अंतिम डिक्री पारित करें । पक्षकारान को पांबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 28.06.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों ।

19. निर्णय आज दिनांक 24.05.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा